राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या **19799/2023**

मेसर्स पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय वैभव कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में श्री मुकेश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. राजस्थान राज्य, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर, कर भवन, जयपुर।

4. आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

----प्रतिवादीगण

<u>के साथ</u>

<u>डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19801/2023</u>

मेसर्स पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय वैभव कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में श्री मुकेश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. राजस्थान राज्य, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर, कर भवन, जयपुर।

4. आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

----प्रतिवादी

डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19802/2023

मेसर्स पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय वैभव कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में श्री मुकेश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. राजस्थान राज्य, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर, कर भवन, जयपुर।

4. आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

----प्रतिवादी

डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19804/2023

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

मेसर्स पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय वैभव कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में श्री मुकेश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. राजस्थान राज्य, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,

3. जयपुर। संयुक्त आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर, कर भवन, जयपुर।

4. आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

----प्रतिवादी

<u>डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19814/2023</u>

मेसर्स पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय वैभव कॉम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

नगर, जयपुर में श्री मुकेश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के माध्यम से

----याचिकाकर्ता बनाम

1. भारत संघ, सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. राजस्थान राज्य, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर, कर भवन, जयपुर।

4. आयुक्त, सर्किल बी, प्रवर्तन विंग राजस्थान-II, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री गोपाल मूंधड़ा, अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री दक्ष पारीक, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए	:	श्री संदीप तनेजा, अतिरिक्त महाधिवक्ता। श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता के साथ श्री अक्षत

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

शर्मा, अधिवक्ता।

श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता के साथ श्री अक्षत शर्मा, अधिवक्ता।

श्री पुनीत सिंघवी, अधिवक्ता के साथ श्री आयुष सिंह, अधिवक्ता,

श्री अजय एस. राठौड़, अधिवक्ता और सुश्री श्रद्धा मेहता, अधिवक्ता। |

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

19/07/2024

1. सुना गया।

2. चूंकि ये रिट याचिकाएं इस न्यायालय के विचारार्थ कानून के समान मुद्दे उठाती हैं, इसलिए इन्हें समान रूप से सुना गया और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय किया जा रहा है।

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

3. ये रिट याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'आरजीएसटी अधिनियम, 2017')/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'सीजीएसटी अधिनियम, 2017') की धारा 7, 9, 15, 50 और 73 के तहत की गई कार्यवाही और पारित आदेशों के संबंध में दायर की गई हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सबसे पहले एक सामान्य निवेदन करेंगे कि व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष के बावजूद, चुनौतीग्रस्त आदेशों ने न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, बल्कि आरजीएसटी अधिनियम, 2017/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75(4) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है, जो कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त, प्रतिवादियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का भी अधिदेश देता है, जब करदाता ऐसी मांग उठाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और प्रस्तावित मांग को स्वीकार किए बिना गुण-दोष के आधार पर मामलों का विरोध करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने की भी प्रार्थना की। रिट याचिकाओं में और साथ ही अतिरिक्त हलफनामों में निहित विभिन्न अभिवचन का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने विभाग के सामान्य पोर्टल पर नोटिस अपलोड किए थे, लेकिन वे याचिकाकर्ता के जीएसटीआइएन पोर्टल पर प्रतिबिंबित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि विभाग ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस अपलोड किए थे, जो आरजीएसटी अधिनियम, 2017/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75(4) की योजना के अनुरूप था, यह प्रतीत होता है कि तकनीकी खराबी के कारण, वही याचिकाकर्ता के जीएसटीआइएन पोर्टल पर प्रतिबिंबित नहीं हो सका। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि यह केवल एक तकनीकी खराबी है और इसे याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने से इनकार करने में प्रतिवादियों की ओर से जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

7. आरजीएसटी अधिनियम, 2017/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75 में कर के निर्धारण से संबंधित सामान्य प्रावधान शामिल हैं। इसकी उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जहां कोई अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

कि उस अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था, उसके खिलाफ धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाकर कर से बचने के आरोप स्थापित नहीं हुए हैं, तो उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर का निर्धारण करेगा, यह मानते हुए कि नोटिस उस अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी अधिनियम, 2017/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75 की उप-धारा (4) यह प्रदान करती है कि सुनवाई का अवसर तब प्रदान किया जाएगा जब कर या दंड के लिए प्रभार्य व्यक्ति से लिखित में अनुरोध प्राप्त हो, या जहां ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल निर्णय परिकल्पित हो।

8. कानून का उपर्युक्त अधिदेश यह अपेक्षा करता है कि ऐसे मामले में जहां कर या दंड के लिए प्रभार्य व्यक्ति सुनवाई का अवसर चाहता है, उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा बशर्ते ऐसा अनुरोध लिखित में प्राप्त हो।

9. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने नोटिस प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट है और एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति के रूप में जाता है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यद्यपि प्रतिवादियों का इरादा याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

था और इस आशय के नोटिस विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड किए गए थे, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता के जीएसटीआइएन पोर्टल पर प्रतिबिंबित नहीं हुए, जो एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति के रूप में भी जाता है। यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे और उस प्रश्न के जवाब में प्राप्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के साथ संलग्न है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सांविधिक अधिदेश का पालन नहीं किया गया और विभिन्न निर्धारण वर्षों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किए गए।

10. चूंकि कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके से याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, हम केवल इसी आधार पर चुनौतीग्रस्त आदेशों को रद्द करने के इच्छुक हैं।

11. चुनौतीग्रस्त आदेश तदनुसार रद्द किए जाते हैं। मामलों को याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजा गया है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से दो महीने की अवधि के भीतर सभी मामलों में कार्यवाही पूरी करें। याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने इन मामलों का गुण-दोष के

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)

आधार पर निर्णय नहीं किया है और याचिकाकर्ता के लिए कानून के तहत उपलब्ध सभी आधारों को उठाना खुला रहेगा।

12. रिट याचिकाएं तदनुसार अनुमत की जाती हैं।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक रिट याचिका के रिकॉर्ड पर रखे।

(आशुतोष कुमार),जे

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव),सीजे

मनोज नारवानी-आरजू/7, 229-232

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

(Downloaded on 29/05/2025 at 05:03:29 PM)